



कार्यालय प्राचार्य
स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरुर

जिला - बालोद, छ.ग, भारत

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत से संबद्ध)

Ph No : 07749 - 265461

Email : gururgovernmentcollege@gmail.com

Website : gcgurur.org.in



क्रमांक / 210 / स्था. / 2023-24

गुरुर, दिनांक 03.08.2023

शोध पत्र प्रोत्साहन योजना (Research Paper Promotion Scheme)

नियम एवं शर्तें (Rules and Conditions)

01. यह योजना महाविद्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारियों एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए लागू होंगे।
(This scheme will be applicable for all officers, employees and regular students of the college.)
02. एक सत्र में प्रति व्यक्ति दो शोध पत्र हेतु मान्य होगा।
(Will be valid for two research papers per person in a session.)
03. प्रकाशित शोध पत्र यूजीसी केयर लिस्ट, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस एवं अन्य मान्य शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होना चाहिए।
(Published research papers should be published in UGC Care List, Web of Science, Scopus and other recognized research journals.)
04. शोध पत्र में लेखक या सह लेखक का कार्य स्थल स्व. डारन बाई तारम महाविद्यालय गुरुर होना आवश्यक होगा।
(It will be necessary for the work place of the author or co-author in the research paper to be Late Daran Bai Taram Government College Gurur.)
05. महाविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए प्रति शोध पत्र प्रोत्साहन राशि रु. 2500.00 (दो हजार पांच सौ रुपये) या शोध पत्र प्रकाशन राशि के अर्ध राशि में जो न्यूनतम हो देय होगा।
(Incentive amount per research paper for the officers and employees of the college is Rs. 2500.00 (Rupees Two Thousand Five Hundred) or half of the research paper publication amount whichever is less.)
06. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए पूर्ण प्रकाशन राशि या रु. 5000.00 (पांच हजार रुपये) में जो न्यूनतम होगा, देय होगा।
(Full publication amount for regular students of the college or Rs. 5000.00 (five thousand rupees) whichever is the minimum, will be payable.)
07. शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र की एक प्रति महाविद्यालय के लाइब्रेरी में तथा एक प्रति संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
(One copy of the research paper published in the research journal will have to be deposited in the college library and one copy in the concerned department.)
08. शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रकाशन पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
(To get the benefit of research paper publication promotion scheme, after publication, application will have to be submitted to the principal of the college in the prescribed form.)

09. आई.क्यू.ए.सी. स्टीयरिंग समिति / रिसर्च प्रमोशन सेल से अनुशंसित होने पर प्रोत्साहन राशि देय होगा।
(The incentive amount will be payable on the recommendation of the I.Q.A.C. Steering Committee / Research Promotion Cell.)
10. एक शोध पत्र प्रकाशन में एक से अधिक लेखक/शोधार्थी होने पर केवल एक ही लेखक को देय होगा। एक से अधिक लेखकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर लेखक/शोधार्थियों के घटते क्रम के अनुसार पहले आने वाले लेखक को ही देय होगा।
(In case of more than one author/researcher in a research paper publication, only one author will be paid. In case of submission of application by more than one author, it will be payable to the first author according to the decreasing order of the author/researchers.)
11. शोध प्रकाशन के 02 माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
(It will be mandatory to apply within 02 months of research publication.)
12. शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना का लाभ आबंटित राशि तक नियत होगी अर्थात् शैक्षणिक सत्र अनुसार आबंटित मद में पर्याप्त राशि होने पर ही योजना का लाभ देया होगा।
(The benefit of Research Paper Publication Promotion Scheme will be fixed up to the allocated amount, that is, the benefit of the scheme will be given only if there is sufficient amount in the allocated item according to the academic session.)
13. इस योजना का लाभ महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र अनुसार प्रति शोध पत्र देय होगा अर्थात् महाविद्यालय के जिस सत्र में प्रकाशन माह / तिथि होगा उसी सत्र में लाभ देय होगा।
(The benefit of this scheme will be payable per research paper according to the academic session of the college, that is, the benefit will be payable in the same session in which the publication month/date is of the college.)
14. प्रकाशन तिथि के स्थान पर प्रकाशन माह होने पर और उक्त माह दो शैक्षणिक सत्रों में सम्मिलित होने पर आई.क्यू.ए.सी. स्टीयरिंग कमीटी जिस सत्र के लिए अनुशंसित करेगा, मान्य होगा।
(If the month of publication is instead of the date of publication and the said month is included in two academic sessions, the session recommended by the I.Q.A.C. steering committee will be valid.)
15. प्रकाशन संबंधी बिल प्रस्तुत करना होगा। बिल नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रकाशित शोध पत्रिका के नियमावली अनुसार प्रकाशन शुल्क मान्य होगा।
(Publication bills will have to be submitted. In the absence of bill, the publication fee will be valid as per the rules of the concerned published research journal.)

IQAC Steering Committee Member -

01.



02.



03.



04.




IQAC Coordinator
IQAC
Government College Gurur
Dist. Balod (C.G.)



Principal
Government College Gurur
Dist. Balod (C.G.)